छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा मुंगेली
जिला न्यायालय परिसर मुंगेली (छ.ग.)

कमांक 02/छ.ग.न्या.कर्म.सं./2025 मुंगेली,दिनांक 16 अप्रैल 2025

//निविदा की संक्षिप्त सूचना//

जिला न्यायालय परिसर मुंगेली में कैंटीन/फोटोकॉपी/सायकल स्टैण्ड के संचालन हेतु समक्ष निविदाकर्ता द्वारा बंद लिफाफा में निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इच्छुक बोलीदाता उल्लेखित व्यवसायों के संचालन हेतु निविदा का प्रारूप एवं शर्तो की विस्तृत जानकारी कार्यालय दिवस में अध्यक्ष छ0ग0 न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा मुंगेली से अथवा जिला एवं सत्र न्यायालय मुंगेली की वेबसाईट http://mungeli.dcourts.gov.in से प्राप्त कर सकते है।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 12/05/2025 (शाम 05 बजे तक)

निविदा खोलने का तिथि 13/05/2025 को (शाम 05 बजे)

स्थान– जिला न्यायालय परिसर मुंगेली छ0ग0

16-04-25

अध्यक्ष
छ0ग0 न्यायिक कर्मचारी संघ
जिला शाखा मुंगेली
जिला न्यायालय परिसर मुंगेली छ.ग.

छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा मुंगेली
जिला न्यायालय परिसर मुंगेली (छ.ग.)

कमांक 01/छ.ग.न्या.कर्म.सं./2025 मुंगेली,दिनांक 16 अप्रैल 2025

//निविदा सूचना //

जिला न्यायालय परिसर मुंगेली में **कैंटीन/फोटोकॉपी/सायकल स्टैंण्ड** के संचालन हेतु समक्ष निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित प्रारूप में बंद लिफाफा में निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 12/05/2025 (शाम 05 बजे तक)

निविदा खोलने का तिथि 13/05/2025 को (शाम 05 बजे)

स्थान– जिला न्यायालय परिसर मुंगेली छ0ग0

निविदा की शर्ते एवं नियम निम्नानुसार है:–

(1) कैंटीन संचालन हेतु:–

1. कैंटीन संचालक के द्वारा कैंटीन में बेची जानी वाली वस्तुओं की दर बाजार दर से अधिक नही होगी। यदि संभव हो तो सभी खाने की वस्तुए एम.आर.पी दर से कम दर में विक्रय करना होगा। कोई भी वस्तु एम.आर.पी. दर से अधिक कीमत में विक्रय नहीं किया जावेगा।
2. कैंटीन संचालक द्वारा खाने की वस्तु (स्नेक्स, पेय एवं खाद्य पदार्थ) की गुणवत्ता एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेगा।
3. कैन्टीन संचालक अपने रसोईया तथा उनके सहायक को एप्रान एवं वर्दी उपलब्ध करायेगा तथा अपने कर्मचारियों का व्यक्तिगत विवरण संघ की अध्यक्ष को उपलब्धता करायेगा।
4. कैन्टीन संचालक विद्युत, पानी, फर्नीचर एवं जो भी जरूरत/आवश्यक सुविधाओं के सारे व्यय स्वयं वहन करेगा।
5. कैन्टीन संचालक दो माह का लायसेंस शुल्क/किराया अग्रिम रूप से संघ के बैंक खाते में जमा करेगा। वह दर 31 मार्च तक प्रचालित होगा उसके बाद कैंटीन की बोली की राशि का 5 प्रतिशत प्रति वर्ष किराया बढ़ाया जावेगा।

6. कैंन्टीन संचालक को मासिक किराया हर माह की 10 तारीख तक संघ के बैंक खाते में जमा करना होगा। अगर कैन्टीन संचालक नियमों का पालन करने में असफल रहता है तो संघ द्वारा संचालक को सूचना देते हुए उसके अनुबंध को समाप्त कर सकेगा।

7. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली का यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वे किसी भी समय, किसी भी बिन्दू पर बिना किसी पूर्व नोटिस के कैंटीन का अनुबंध समाप्त कर सकेंगे।

8. कैंटीन संचालक को यह अधिकार होगा कि वे 45 दिनों की पूर्व सूचना देकर कैन्टीन बंद करने की अनुमति प्राप्त कर अनुबंध समाप्त कर सकेगा, उस स्थिति में संघ के अध्यक्ष द्वारा 45 दिनों के समाप्ति पर संचालक द्वारा जमा की गई अग्रिम राशि कैंटीन संचालक को वापस करेगा।

9. कैंटीन संचालक न्यायालय परसिर में कोई भी ऐसा कृत्य या आचरण नही करेगा जो न्यायाल के गरिमा के प्रतिकूल हो जैसे धुम्रपान, नशा, जुआ खेलने या खेलाना या कोई अन्य अपराधिक कार्य नही करेगा, तथा ग्राहको से सम्मानजनक व्यवहार करेगा।

10. कैन्टीन संचालक को प्रदान किये गये नियत स्थान पर ही अपना व्यवसाय करना होगा। अपनी जगह पर वह किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से न तो अपना कार्य करेगा और नही अन्य व्यक्ति को जगह देगा।

11. अनुबंध की अवधि अनुबंध प्रारंभ होने की पहली तारीख से एक वर्ष की होगी। अनुबंध की अवधि संघ के अध्यक्ष द्वारा प्रधान जिला न्यायाधीश/समिति के पूर्व अनुमोदन से वार्षिक आधार पर बढ़ाई जा सकेगी।

12. माननीय समिति से प्राप्त मासिक किराये की निर्धारित दर अनुसार कैन्टीन संचालन हेतु न्यूनतम बोली राशि 6,000/–रूपये निर्धारित की गई है।

(2) <u>फोटोकॉपी मशीन संचालन हेतु:–</u>

1. फोटोकॉपी मशीन संचालक लाईसेंस/दो माह का किराया अग्रिम रूप से संध के बैंक खाता में जमा करेगा, यह दर 31 मार्च तक प्रचलित होगा। इसके बाद फोटोकॉपी मशीन की बोली की राशि 5 प्रतिशत प्रति वर्ष किराया बढ़ाया जावेगा।

2. फोटोकॉपी मशीन संचालक मासिक किराया हर माह की 10 तारीख तक संध्या के बैंक खाते में जमा करना होगा। अगर कैन्टीन संचालक नियमों का पालन करने में असफल रहता है तो संघ द्वारा संचालक को सूचना देते हुए उसके अनुबंध को समाप्त कर सकेगा।

3. फोटोकॉपी मशीन संचालक संघ की सहमति से फोटोकापी की दर निर्धारित करेगा तथा फोटोकापी की राशि प्राप्त करेगा।

4. फोटोकॉपी मशीन संचालक विद्युत, पानी एवं जो भी जरूरत/आवश्यक सुविधाओं के सारे व्यय स्वयं वहन करेगा।

5. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली का यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वे किसी भी समय, किसी भी बिन्दू पर बिना किसी पूर्व नोटिस के फोटोकापियर मशीन के संचालन का अनुबंध समाप्त कर सकेंगे।

6. फोटोकॉपी मशीन संचालक को यह अधिकार होगा कि वे 45 दिनों की पूर्व सूचना देकर कैन्टीन बंद करने की अनुमति प्राप्त कर अनुबंध समाप्त कर सकेगा, उस स्थिति में संघ के अध्यक्ष द्वारा 45 दिनों के समाप्ति पर संचालक द्वारा जमा की गई अग्रिम राशि फोटोकॉपी मशीन संचालक को वापस करेगा।

7. फोटोकॉपी मशीन संचालक न्यायालय परसिर में कोई भी ऐसा कृत्य या आचरण नही करेगा जो न्यायालय के गरिमा के प्रतिकूल हो जैसे धुम्रपान, नशा, जुआ खेलने या खेलाना या कोई अन्य अपराधिक कार्य नही करेगा, तथा ग्राहको से सम्मानजनक व्यवहार करेगा।

8. फोटोकॉपी मशीन संचालक को प्रदान किये गये नियत स्थान पर ही अपना व्यवसाय करना होगा। अपनी जगह पर वह किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से न तो अपना कार्य करेगा और नही अन्य व्यक्ति को जगह देगा।

9. सफल बोलीदाता को न्यायालय परिसर में प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपनी स्वयं की फोटोकॉपी मशीने स्थापित करनी होगी तथा ऑपरेटर को नियुक्त करना होगा।

10. माननीय समिति से प्राप्त मासिक किराये की निर्धारित दर अनुसार सायकल स्टैण्ड संचालन हेतु न्यूनतम बोली राशि 4,000/–रूपये निर्धारित की गई है।

(3) सायकल स्टैण्ड संचालन हेतुः–

1. सायकल स्टैण्ड संचालक लाईसेंस/दो माह का किराया अग्रिम रूप से संध के बैंक खाता में जमा करेगा, यह दर 31 मार्च तक प्रचलित होगा। इसके बाद सायकल स्टैण्ड संचालक की बोली की राशि 5 प्रतिशत प्रति वर्ष किराया बढ़ाया जावेगा।
2. सायकल स्टैण्ड संचालक मासिक किरया मासिक किराया हर माह की 10 तारीख तक संध्या के बैंक खाते में जमा करना होगा। अगर कैन्टीन संचालक नियमों का पालन करने में असफल रहता है तो संघ द्वारा संचालक को सूचना देते हुए उसके अनुबंध को समाप्त कर सकेगा।
3. सायकल स्टैण्ड संचालक सायकल स्टैण्ड में खडे किये गये वाहन की रक्षा सुनिश्चित करेगा। साथ ही अगर किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति वह पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. सायकल स्टैण्ड संचालक मोटर सायकल तथा चार पहिया वाहनो का दैनिक मासिक किराया संघ की सहमति से निर्धारित कर उसके अनुरूप किराया वसूल करेगा।
5. सायकल स्टैण्ड संचालक अपने सहायको को वर्दी उपलब्ध करायेगा। तथा अपने कर्मचारियों का व्यक्तिगत विवरण संघ को देगा।
6. सायकल स्टैण्ड संचालक विद्युत, पानी एवं जो भी जरूरत/आवश्यक सुविधाओं के सारे व्यय स्वयं वहन करेगा।
7. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली का यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वे किसी भी समय, किसी भी बिन्दू पर बिना किसी पर्वू नोटिस के सायकल स्टैण्ड संचालक का अनुबंध समाप्त कर सकेंगे।
8. सायकल स्टैण्ड संचालक को यह अधिकार होगा कि वे 45 दिनों की पूर्व सूचना देकर सायकल स्टैण्ड बंद करने की अनुमति प्राप्त कर अनुबंध समाप्त कर सकेगा, उस स्थिति में संघ के अध्यक्ष द्वारा 45 दिनों के समाप्ति पर सायकल स्टैण्ड संचालक द्वारा जमा की गई अग्रिम राशि सायकल स्टैण्ड संचालक को वापस करेगा।

9. सायकल स्टैण्ड संचालक न्यायालय परिसर में कोई भी ऐसा कृत्य या आचरण नही करेगा जो न्यायालय के गरिमा के प्रतिकूल हो जैसे धुम्रपान, नशा, जुआ खेलने या खेलाना या कोई अन्य अपराधिक कार्य नही करेगा, तथा ग्राहको से सम्मानजनक व्यवहार करेगा।
10. सायकल स्टैण्ड संचालक को प्रदान किये गये नियत स्थान पर ही अपना व्यवसाय करना होगा। अपनी जगह पर वह किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से न तो अपना कार्य करेगा और नही अन्य व्यक्ति को जगह देगा।
11. माननीय समिति से प्राप्त मासिक किराये की निर्धारित दर अनुसार फोटोकॉपी मशीन संचालन हेतु न्यूनतम बोली राशि 1,500/–रूपये निर्धारित की गई है।

आवेदन प्रस्तुत करने की प्रकियाः–

1. निविदा को **अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा मुंगेली, जिला न्यायालय परिसर मुंगेली (छ.ग.) 495334** पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किया जा सकेगा।
2. निविदा एक बंद लिफाफे में होगी। लिफाफे के बाहर, अंदर रखे दस्तावेज का विवरण अभिलिखित किया जाना होगा।
3. सभी निविदाएं न्यूज पेपर में प्रकाशित अंतिम तिथि 12/05/2025 दिनांक शाम 5.00 बजे तक अनिवार्य रुप जमा हो जाना चाहिए।
4. कैंटीन, सायकल स्टैण्ड एवं फोटोकॉपी मशीन संचालन हेतु प्राप्त पृथक–पृथक निविदा को निविदा जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति पर अगले की कार्य दिवस पर संघ के अध्यक्ष एवं नियम 2025 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष सभी निविदाकर्ता की उपस्थिति अथवा उसकी ओर से उपस्थित अभिकर्ता की उपस्थिति में निविदा खोली जाएगी।
5. सभी निविदा को खोलने के पश्चात् जो भी उच्चतम बोली (दर) का सफल निविदाकर्ता होगा, की घेषणा पृथक–पृथक की जाएगी। अधिकृत अधिकारी द्व ारा उस निविदाकर्ता को कैंटीन, सायकल स्टैण्ड एवं फोटोकॉपी मशीन संचालन की अनुमति अनुबंध के माध्यम से दिया जाएगा। साथ ही शेष निविदाकर्ता जो कि उक्त निविदा में सम्मिलित हुए पर सफल नहीं हुए, उनके

द्वारा जमा किये गये निविदा की 25 प्रतिशत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंक चेक अगले 7 कार्य दिवस के भीतर जल्द से जल्द वापस कर दिया जाएगा।

6. सफल निविदाकर्ता को निविदा की शेष 75 प्रतिशत राशि अगले 7 कार्य दिवस के भीतर डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंक चेक के रूप में जो कि अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा मुंगेली के नाम पर होनी चाहिए, जमा करना होगा। अगर ऐसा करने में उक्त निविदाकर्ता असफल रहा तो उसका अग्रिम जमा राशि जप्त कर उसकी बोली रद्द कर दिया जाएगा। निविदा हेतु बोली की सम्पूर्ण राशि 7 कार्य दिवस के भीतर जमा करने के पश्चात् ही उसे कैंटीन, सायकल स्टैण्ड एवं फोटोकॉपी मशीन संचालन हेतु अनुबंधित किया जाएगा तथा तभी उसे कैंटीन, सायकल स्टैण्ड एवं फोटोकॉपी मशीन संचालन की पात्रता होगी।

7. जो निविदाएं निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त होगी, उन्हें खोला नहीं जाएगा और वापस कर दिया जाएगा। ऐसी निविदाओं को वापस किये जाने का दिन एवं समय की जानकारी मोहर बंद लिफाफे में उल्लेखित होगी।

8. आमंत्रित किये गये निविदा को किसी भी समय समक्ष प्राधिकारी द्वारा बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकेगा।

16-04-2025

अध्यक्ष
छ0ग0 न्यायिक कर्मचारी संघ
जिला शाखा मुंगेली
जिला न्यायालय परिसर मुंगेली छ.ग.

अनुमोदित
26/4/2025
Principal District & Sessions Judge
Mungeli(C.G.)

आवेदन पत्र

1. अनुमति के लिए आवेदन
 (1) कैंटीन चलाने हेतु –जिला न्यायालय परिसर मुंगेली
 (2) फोटोकापी मशीन चालने हेतु –जिला न्यायालय परिसर मुंगेली
 (3) सायकल स्टैण्ड चालने हेतु –जिला न्यायालय परिसर मुंगेली
2. आवेदक का नाम :– ——————————
3. पूर्ण पता:– ——————————
4. पहचान का प्रमाण पत्र
 (स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें):– ——————————
5. निविदा हेतु बोली राशि :– ——————————
 (मासिक लाईसंस शुल्क एवं किराया) :– ——————————

कृपया आवेदन के साथ निविदा की 25 प्रतिशत राशि डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक द्वारा जो कि अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा मुंगेली के नाम पर देय होगा, अनिवार्यतः प्रस्तुत करें, निविदा खुलने के बाद सफल निविदाकर्ता को छोड़कर शेष सभी निविदाकर्ता को निविदा की राशि जल्द से जल्द वापस कर दी जावेगी।

6. डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक कमांक और दिनांक ——————————
7. जारीकर्ता बैंक का नाम एवं शाखा :– ——————————
8. निविदाकर्ता के द्वारा सभी कालम यथावत एवं साफ तरीके से भरे जाने होगे अगर कोई भी कमी आवेदन में पाई गई तो उक्त आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। निविदाकर्ता के द्वारा अपना स्वप्रमाणित पहचान पत्र साथ ही निविदा राशि की डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, जैसा कि उपरोक्तानुसार सरल कमांक 6 एवं 7 में उल्लेखित किया गया है, संलग्न करना होगा यदि किसी भी प्रकार की कोई कमी पाई गई तो उक्त निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता



घोषणा पत्र

मै ———————————— पुत्र/पुत्री/पत्नि———————————— एतद् द्वारा सभी उत्तरदायित्व लेता/लेती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी जो निविदा में दी जा रही है, सत्य है और में हर परिस्थितियों में कैंटीन/फोटोकापी मशीन/सायकल स्टैण्ड चलाने हेतु जिला न्यायालय नियम 2025 में उल्लेखित नियमों का पालन करूंगा/करूंगी एवं किसी भी बिंदु पर अगर यह देखा गया कि मेरे द्वारा कोई गलत जानकारी या उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन या नियमों से संबंधित किसी तथ्य को कटाया गया तो मेरे अनुबंध को बिना पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जावे।

हस्तारक्षर निविदाकर्ता